राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3227/2024

संजय कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला, झुन्झुनू।
3. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नवलगढ़, झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.10.2024
आदेश की दिनांक : 29.10.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री इमरान खान, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति, नवलगढ, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.02.2024 के द्वारा का स्थानान्तरण पंचायत समिति, नवलगढ से पं.स. अलसीसर किया है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.09.2024 के द्वारा उक्त स्थान के लिए कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने से पूर्व पंचायत समिति, नवलगढ़, झुंझुनू के प्रधान से सहमति प्राप्त नहीं की गई है। उनका तर्क है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(8)(ii) में प्रावधान है कि स्थानांतरण से पूर्व प्रमूखों से परामर्श लिया जायेगा। पंचायत समिति नवलगढ़ के प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र 18.09.2024 जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने स्थानांतरण के संबंध में उनके द्वारा अभिशंषा नहीं करना बताया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण नियमों के विरूद्ध किया गया है।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. हम पाते हैं कि प्रधान, पंचायत समिति, नवलगढ़ द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसमें यह भी अंकित किया गया है कि स्थानांतरण को यथावत् रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्रधान द्वारा कार्योत्तर सहमति प्रदान की गई है। हम पाते हैं कि चूंकि प्रधान द्वारा कार्योत्तर सहमति दी जा चुकी है, ऐसे में अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश को गलत होना नहीं माना जा सकता है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)